

प्रेषक,

अजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक 23 अप्रैल, 2019

विषय: सिपडा योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निष्प्रयोज्य रह गयी धनराशि रू0 5.733 लाख को भारत सरकार को वापस किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-59/2019/1140/65-2-2019-04(विविध)/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 (प्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार को रू0 5.733 लाख (रू0 पाँच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से "इन्टर गवर्नमेन्ट एडवाइस" द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. कृपया तदनुसार रू0 5.733 लाख (रू0 पाँच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के खाते से डेबिट कर भारत सरकार के खाते को क्रेडिट किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से "इन्टर गवर्नमेन्ट एडवाइस" प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. उपर्युक्त व्यय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-03-केन्द्रीय आयोजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-900-घटाएँ-वापसियाँ-01-वापसियाँ के नामे डाला जायेगा।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
अजीत कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-60/2019/1141(1)/65-2-2019 तद्विनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पाँचवा तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003।
4. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, वेस्ट हाई कोर्ट रोड नागपुर 440001।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>